न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 46/2024

1 सुरत सिंह उम्र 58 साल पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ग्राम दयाल की नांगल तहसील पाटन जिला नीमकाथाना राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 बोदूराम उम्र 48 साल पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन निवासी दयाल की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला नीमकाथाना राज.।
2 भूमिधारी जरिए तहसीलदार पाटन जिला नीमकाथाना।
3 उप पंजीयक अधिकारी नीमकाथाना तहसील व जिला नीमकाथाना।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्राथमिक डिकी एवं निर्णय दिनांक 14.06.2022 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नीमकाथाना दावा संख्या 78/2022 बउनवानी सुरतसिंह बनाम बोदूराम आदि दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

अपील संख्या 45/2024

1 सुरत सिंह उम्र 58 साल पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी ग्राम दयाल की नांगल तहसील पाटन जिला नीमकाथाना राज.।

अपीलांटस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 बोदूराम उम्र 48 साल पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन निवासी दयाल की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला नीमकाथाना राज.।
2 भूमिधारी जरिए तहसीलदार पाटन जिला नीमकाथाना।
3 उप पंजीयक अधिकारी नीमकाथाना तहसील व जिला नीमकाथाना।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अंतिम डिक्री एवं निर्णय दिनांक 19.02.2024 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे) नीमकाथाना जिला नीमकाथाना पीठासीन अधिकारी श्री राजवीर सिंह यादव आरएएस दावा संख्या 78/2022 बउनवानी सुरतसिंह बनाम बोदूराम आदि दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश कुमार पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 7/12/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 78/2022 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2022, 1902. 2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम दयाल की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 142/1 रकबा 0.96 हैक्टेयर अवस्थित है जिसका खातेदार अपीलान्ट ही था जिसने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 0.79 हैक्टेयर कृषि भूमि का बेचान किया था परन्तु उक्त कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद संख्या 78/2022 बउनवानी सुरतसिंह बनाम बोदूराम आदि दिनांक 14.06.2022 को प्रस्तुत किया था परन्तु विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना उसी दिनांक 14.06.2022 को वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री जारी होने का निर्णय पारित कर दिया उसके पश्चात पत्रावली इंतजार बंटवारा प्रस्ताव में चलती रही उक्त वाद पत्र में विचारण न्यायालय को दिनांक 05.12.2022 को कागजी विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिस पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी तत्पश्चात पुनः विभाजन प्रस्ताव हेतु विभाजन के लिए बनाये गये नियमों की पालना किये बिना विभाजन प्रस्ताव भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया हुआ प्रेषित कर दिया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की थी परन्तु उक्त आपत्ति को अस्वीकार करते हुए दिनांक 19.02.2024 को अंतिम डिक्री व निर्णय पारित कर दिया। विचारण न्यायालय की प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरित है एवं अपीलान्ट के उक्त अंतिम डिक्री से हित प्रभावित है। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 46/2024 धारा 5 के आवेदन के साथ व अपील संख्या 45/2024 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री एंव निर्णय का अवलोकन किया जावे तो जिस दिनांक को वाद पत्र दर्ज किया गया है उसी दिनांक को अन्य प्रतिवादीगण को तामील के नोटिस जारी नहीं करके वाद पत्र में प्रिमेच्योर स्थिति में प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित किया जो कि विधिक प्रक्रिया का अनुसरण के बिना किया गया जिसमें अपने स्तर पर शर्ते अधिरोपित की जबकि विभाजन के संबंध में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के अनुसार ही बंटवारा प्रस्ताव के लिए प्राथमिक डिक्री में अंकन किया जाना होता है इसलिए चुनौतीग्रस्त डिक्री व निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने के पश्चात उक्त डिक्री की अनुपालना में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 के प्रावधानों के अनुसार मौके पर तहसीलदार को उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव सहखातेदारान की उपस्थिति में तैयार करना आवश्यक होता है परन्तु तहसीलदार मौके पर उपस्थित नहीं हुआ बल्कि भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी ने मनमर्जी का बंटवारा प्रस्ताव कार्यालय मे बैठकर ही तैयार किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अनुचित लाभ पहूंचाने के लिए खसरा नम्बर 142/1 में से सड़क मार्ग की तरफ से 0.79 हैक्टेयर भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्सा में बता दिया एवं खसरा नम्बर 142/1 की शेष 0.17 हैक्टेयर भूमि दक्षिणी तरफ अपीलान्ट के हिस्सा में बता दिया जबकि खसरा नम्बर 142/1 में से उतरी तरफ की 0.17 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलान्ट के हिस्सा की है यदि इस कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाता तब अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दोनों को ही सड़क मार्ग से लगती हुई कृषि भूमि विभाजन में दी जाती अथवा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्सा की दक्षिणी तरफ की भूमि के लिए रास्ता छोड़ा जाता परन्तु माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन संबंधी बनाये उक्त नियमों का उल्लंघन करके अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जो कि विधि अनुसार नहीं होने के कारण उक्त वेग बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर पारित अंतिम डिक्री खारिज होने योग्य है। हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनायी गयी उक्त रिपोर्ट में अपीलान्ट को भी विभाजन प्रस्ताव पढ सुनकर हस्ताक्षर करना अंकित किया है जबकि अपीलान्ट के उक्त विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं है ना ही अपीलान्ट की उपस्थिति में उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया इसलिए विचाराधीन अंतिम डिक्री एवं निर्णय को खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु विचारण न्यायालय ने सरसरी तौर पर ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट की ओर से दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई दिनांक 14.06.2022 को विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस डिक्री को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.03.2024 को धारा 5 के आवेदन के साथ चुनौती दी गई है। अपीलान्ट ने धारा 5 के आवेदन में विलम्ब का युक्तिसंगत कारण अंकित नहीं किया है। मूलवाद स्वयं अपीलांट का था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में दिनांक 17.11.2022 को विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 21.07.2023 को आपत्ति स्वीकार कर प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए है। विचारण न्यायालय के समक्ष 23.10.2023 को तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये। विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः दिनांक 05.02.2024 को अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है।

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय से विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 7/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर